## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी, करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00295 (296/2016) 225 आरटीएक्ट

कृष्णलाल पुत्र श्री श्योकरण जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाण्ट/प्रार्थी

**बनाम**

1. कृष्णलाल पुत्र श्री ख्यालीराम जाति ब्राहम्ण निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
3. बद्रीराम पुत्र श्री मनीराम अकवाम मेघवाल निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. पूर्णचंद (फौत)।

4/1. गुड्डी देवी पत्नि स्व0 पूर्णचन्द
4/2. संजय कुमार
4/3. गोपी कुमार
} पुत्रगण श्री पूर्णचन्द (4/2, 4/3)
} जाति मेघवाल निवासीगण पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़। (4/1–4/3)

4/4. राजूदवी पुत्री स्व0 पूर्णचन्द पत्नि श्री श्रवण पुत्र कानाराम जाति मेघवाल (मण्डार) निवासी अमरपुरा जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

5. रामीदेवी पत्नि श्री हरिराम
6. भागीरथ
7. कानाराम
8. संजीव कुमार
9. ताराचन्द

} पुत्रगण मु0 रामीदेवी पत्नि श्री हरीराम (6–9)
} जाति मेघवाल निवासीगण पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़। (5–9)

–रेस्पोडेण्ट्स/अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0एक्टविरूद्ध आदेश दिनांक 08.02.2016 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ प्रकरण सं0 226/2012 अनवान कृष्णलाल बनाम कृष्णलाल व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested

श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री सोहन लाल सहारण अधिवक्ता रेस्पो0 1, 9

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4/1, 4/2

श्री रविद्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांकः— 02.09.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांण्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया कि प्रार्थी के नाम 23 एल.एल.डबल्यु. के खाता सं0 9/8 की कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि में से 18 हिस्सा दर्ज है। इस खाता में अन्य सहखातेदार मनीराम पुत्र जोगाराम की 14 हिस्सा भूमि दर्ज है। यह कृषि भूमि पं0नं0 70/218 मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 3, 4, 7 व 8 की कुल 1.518 है0 भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि चक 23 एल.एल.डबल्यू. के खाता सं0 10/9 के प0नं0 70/218 के मु0 नं0 39 के किला नं0 10 ता 25 है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 की भूमि के दक्षिण में एक ही मुरब्बे में अवस्थित है। पत्थर लाईन 72 पर उतर से दक्षिण की ओर 72/219 के बिन्दु तक व तत्पश्चात 3 मुरब्बा लम्बाई में पश्चिम की ओर पत्थर लाईन 219 पर चलते हुए 69/219 के बिन्दु तक पहले से ही मंजूरशुदा रास्ता चल रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 3 ता 5 की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अपने खेत में आने जाने के लिए पं0 नं0 70/218 के किला नं0 7 तक अप्रार्थी के किला नं 14, 17, 24 के किसी भाग में से अथवा अप्रार्थी के किला नं0 15, 16, 25 की पूर्वी सींव पर दो गट्ठा चौड़ाई का रास्ता उत्तर दक्षिण स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कतई गलत— विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested

अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र व प्रार्थी को कृषि भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता नहीं होने व प्रार्थी की मांग के अनुसार अत्यन्त ही सुविधाजनक रूप से मांगा गया रास्ता उपयुक्त होने के तथ्य को कतई नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पृथम दृष्टया ही अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में यह तथ्य बखूबी साबित कर दिया कि उसे अपनी कृषि भूमि में आने के लिए अन्य किसी प्रकार का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है व रास्ता की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार वह राशी भी अदा करने के लिए तैयार है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो इसी आधार पर ही अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ने यह भी कथन कियाकि अपीलाण्ट के पास अपने खेत में जाने के लिए सुविधाजनक रास्ता पत्थर लाईन 217 पर प. न. 69/217 के कि. नं. 1 ता 5 में रास्ता का इन्द्राज दुरूस्त करवाने पर प्रार्थी चक एलएलडब्ल्यू की भूमि में आ जा सकता है जो चक 23 एलएलडब्ल्यू की भूमि से चिपती हुई है। प्रार्थी तथा सह काश्तकारों के खेत में जाने वाले उक्त रास्ता इद्राज अप्रार्थी की भूमि में रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही से पूर्व रास्ता मंजूर था वहीं प्रार्थी अन्य काश्तकारों का अपने खेत में जाने के लिए सुविधा जनक है। अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 649 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान अधीवक्ता रेस्पो सं0 4/1 व 4/2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के साथ हम रेस्पोडेण्टस का संयुक्त खाता है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में केवल मात्र चक 23 एल.एल.डबल्यू. की 6 बीघा भूमि हेतु रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र दिया था जबकि इस भूमि के चिपते अपीलांट व हम रेस्पोडेण्ट की चक 25 एल.एल.डबल्यू. की भूमि पड़ती है। उक्त 25 एल.एल.

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested

डबल्यू. की भूमि के प0नं0 70/217 के लिए गांव की तरफ से आने वाला रास्ता प0नं0 64/217 से प0 नं0 70/217 के प्रत्येक के किला नं0 1 ता 5 तक मन्जूरशुदा रास्ता था। उक्त भुमि के चिपते चक 23 एल.एल.डबल्यू. की भूमि है। जिसके लिए रास्ता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। भू प्रबंधन विभाग की कार्यावाही के दौरान प0नं0 69/217 व 70/217 के प्रत्येक के किला नं0 1 ता 5 में रास्ते के इन्द्राज को अपीलांट व अन्य काश्तकारों ने मिलकर हटवा दिया जबकि भू प्रबंधन विभाग को रास्ता का इन्द्राज हटाने या रास्ते को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। अतः प0नं0 69/217 व 70/217 प्रत्येक मुरब्बा के किला नं0 1 ता 5 में भू प्रबंधन विभाग द्वारा हटाये गये इन्द्राज का दूरस्त कर पुनः रास्ते का इन्द्राज करवाया जाना न्यायोचित है। इसके अलावा आबादी की ओर से चक 31 एम.एम.के. प0नं0 70/209 से 70/217 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता मंजूरशुदा था लेकिन अपीलांट व अन्य काश्तकारों ने मिलकर प0नं0 70/216 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 व प0नं0 70/217 के किला नं0 5, 6 में मंजूरशुदा रास्ते के इन्द्राज को भू प्रबंधन विभाग की कार्यावाही के दौरान हटवा दिया जबकि भू प्रबंधन विभाग को उक्त रास्ते का इन्द्राज हटाने का कोई अधिकार नहीं था। भु प्रबंधन विभाग की उक्त कार्यावाही अवैध व शुन्य है इसलिए दूरूस्ती करवायी जाकर उक्त वर्णित रास्ता का इन्द्राज किये जाने से हम व अपीलांट दोनों संयुक्त रूप से अपनी भूमि में आ जा सकेंगे। उक्त दोनों रास्ते प्रस्तावित रास्ते से नजदीक एवं सुविधाजनक है। अतः चक 25 एल.एल.डबल्यू. केप0नं0 69/217 व 70/217 प्रत्येक मुरब्बा के किला नं0 1 ता 5 में याचक 31 एम.एम.के. के 70/216 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 व प0नं0 70/217 के किला नं0 5, 6 में भू प्रबंधन द्वारा रास्ते के इन्द्राज को हटाया गया था, को दुरस्त कर पुनः रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट ने रास्ता स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिकार्ड एवं तथ्यों के अनुसार 25 एलएलडब्ल्यू के प. नं. 64/217 से प. नं. 70/217 के प्रत्येक किला नं. 1 ता 5

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested

में मंजूरशुदा रास्ते से प्रार्थी आवागमन करता था लेकिन सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान प. नं. 69/217 व प. नं. 70/217 में प्रार्थी तथा अन्य काश्तकारों ने भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रास्ते के इन्द्राज को हटवा दिया था। अपीलाण्ट चक 25 एलएलडब्लयू की भूमि में आ जा सकता है जो चक 23 एलएलडब्ल्यू की भूमि से चिपती हुई है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट की भूमि में से रास्ता लेने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अपीलाण्ट के पास अपने कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिए भूमि प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही से पूर्व ही रास्ता मंजूर था। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2/9/21

(करतार सिंह पूनिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested